न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **प्रभा गौतम,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 06/2019 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 13.08.2019
G.C.M.S. NO. :- 2019/00085

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

रामलाल पिता चन्नीलाल लुहार मृत्तक के बजाएः– श्रीमति नोजी बाई पत्नि रामलाल लुहार, निवासी मूरला, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी कपासन मि. न. 199/81 आवंटन दिनांक 21.09.81

उपस्थितिः–1– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 20.12.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भूआवंटन नियम, 1970 के तहत विरूद्ध विपक्षी के पेश कर निवेदन किया कि मौजा मूरला की बिलानाम आराजी नम्बर 350/13 मी. में से 1 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ गैर खातेदारी हक से विपक्षीया के पति रामलाल लुहार को तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा जरिये मिसल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नम्बर 199/81 से दिनांक 21.09.81 को आवंटित की जो जरिये नामान्तरण संख्या 257 से विपक्षी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज की गई। उक्त गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर विपक्षीया व उसके पति रामलाल का कभी भी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है तथा न ही विपक्षी ने आवंटन नियमों की पालना की। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीया को सूचना पत्र जारी किया गया। संबंधित भू आवंटन पत्रावली तलब की गई। विपक्षी का सूचना पत्र उसकी मृत्यु की सूचना के प्राप्त होने पर तहसीलदार, भूपालसागर से उसके कायम मुकाम/वारिसान की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार भूपालसागर ने अपने पत्रांक/भू.अ./2022/191 दिनांक 08.03.2022 से विपक्षीया नोजी बाई पत्नि रामलाल लुहार के कोई जायन्दा वारिसान नहीं होना तथा विपक्षीया के अपने वृद्धावस्था में ही अपने पति रामलाल के साथ अपने पीहर ग्राम उचनार खुर्द में चले जाना बताया। संबंधित भू आंवटन पत्रावली प्राप्त होने पर बहस प्रकरण राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की है तथा आवंटित भूमि पर कभी भी विपक्षीया अथवा उसके पति का कब्जा नहीं रहा एवं मौके पर वर्तमान मे भी विपक्षी का कब्जा नहीं होकर मौके पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा है तथा आवंटी की मृत्यु होकर उसकी पत्नि नोजीबाई लगभग 20 वर्ष पूर्व अन्यत्र चली गई जिसकी वर्तमान मे मृत्यु होकर कोई जायन्दा वारिसान नहीं बचा है। अतः आवंटन निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। तलबीदा आवंटन पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार भू आवंटन कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा विपक्षीया के पति रामलाल लुहार को ग्राम मूरला की बिलानाम आराजी संख्या 350/13 मी में से 1 बीघा भूमि का आवंटन गैर खातेदारी हक से किया गया जिसको आराजी नम्बर 350/13ख रकबा 1 बीघा दिया जो जरिये नामान्तरण संख्या 257 दिनांक 20.03.82 से विपक्षीया के पति के नाम गैर खातेदारी से दर्ज किया गया। लेकिन आवंटन के पश्चात् से उक्त भूमि पर आवंटी रामलाल एवं उसकी पत्नि विपक्षीया नोजीबाई का कभी कब्जा-काश्त नहीं रहा है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध पटवार हल्का मूरला के मौका पर्चा दिनांक 24.07.2019 से होती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 06/2019 (रा.प्रा.पत्र)
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भूपालसागर बनाम श्रीमति नोजी पत्नि रामलाल लुहार निवासी मूरला, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

पटवार हल्का मूरला ने अपने मौका पर्चा दिनांक 24.07.2019 जो कि मौके पर उपस्थित मौतबिरान के समक्ष बनाया है में उक्त आवंटित भूमि पर पिछले 20 वर्षों से विपक्षीया नोजीबाई पत्नि रामलाल का कब्जा नहीं होकर अमरचंद पिता उंकार, रूपलाल पिता उंकार, नारायण पिता उंकार जाट का कब्जा होना बताया साथ ही विपक्षीया नोजीबाई 20 वर्ष पूर्व ही अपना कब्जा छोड़कर चली जाना बताया है जिस पर मौके पर उपस्थित सभी मौतबिरान के हस्ताक्षर अंकित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि विपक्षीया का उसके पति को गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर कभी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है तथा विपक्षीया द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है। निष्कर्षतः भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षीया को आराजी नम्बर 350/13 मी. में से रकबा 1 बीघा भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(प्रभा गौतम)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official